मानक शर्तें

वन अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन की पत्र सं0 731/14–3–981/82दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित

1– भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो और वह पूर्व की भाँति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2– प्रश्नगतभूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।

3– याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग/संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

4– भूमि का संयुक्त निरीक्षक करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं।

5– हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगें और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।

6– भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देखरेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।

7– हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8– बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण तथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही किया जाना सम्भव होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9– सिंचाई विभाग/जल विभाग द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधो को वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10– याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करें अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि एवं बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगा। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि एवं उस पर निर्मित भवन आदि (आटोमेटिक), स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।

11– सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग को परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र सं0–608 सी दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गो को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा व शर्तें ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12– वन भूमि का मूल्य समबन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13– वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14– हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों में प्रतिकर में याचक विभाग द्वासरा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षरोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30^0 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पालन निषिद्ध है। इसी बीच के पेड़ों का पालन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पालन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15– वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि इस पर भी पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16– यदि नहर आदि निर्माण में भू–क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेगा।

17– उपरिलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरा में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती है तो ये याचक को मान्य होगी।

18– वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय जब उक्त शर्तो का कड़ाई से पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

Executive Engineer
Construction Div-1, P.W.D.
Unnao

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

Georeference Map of Proposed Site of Proposed Road From Safipur-Miyaganj (Nani Kotharia) to Siddhnath Nai Basti, Construction Division-I,PWD Unnao(U.P)

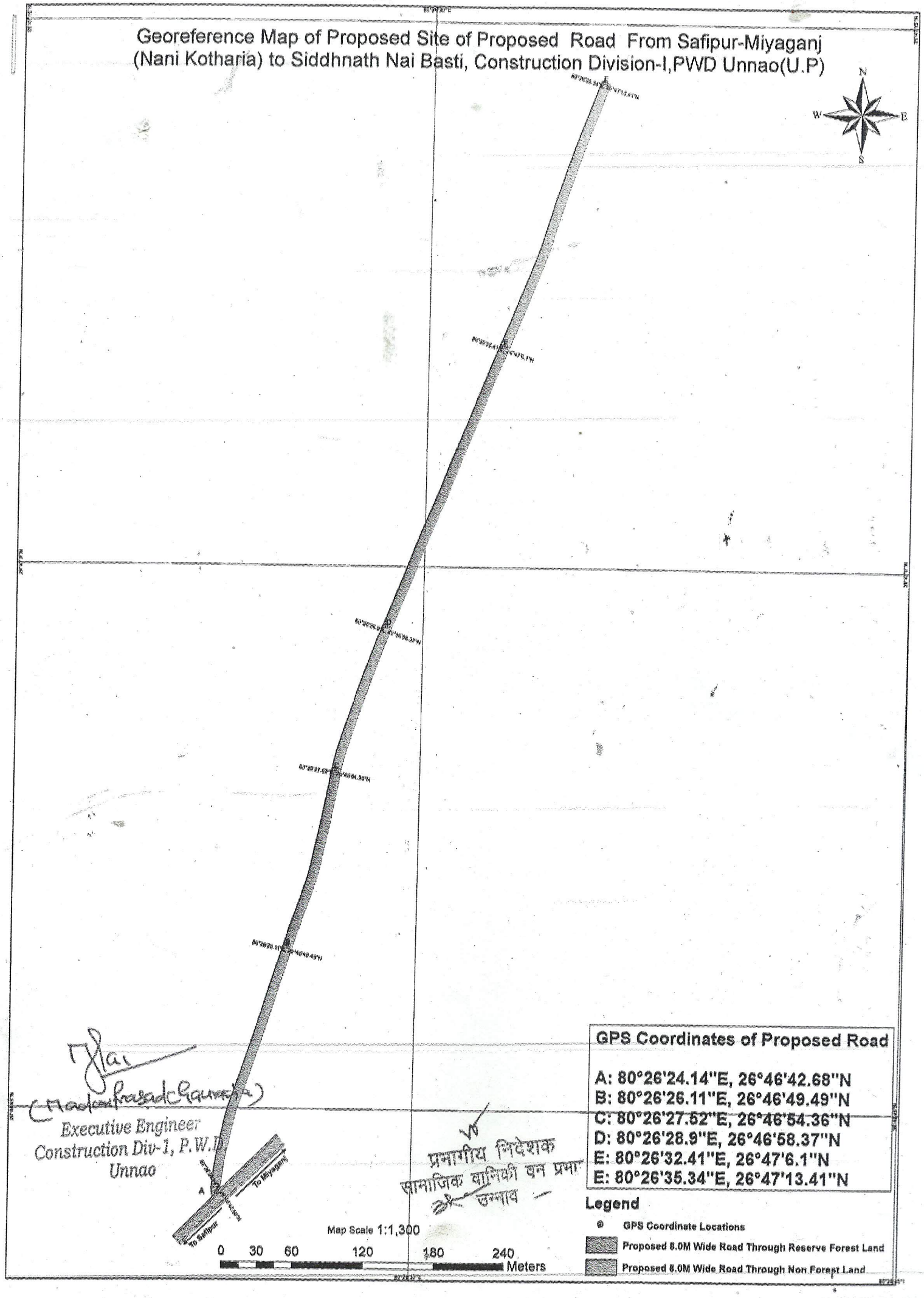

GPS Coordinates of Proposed Road

A: 80°26'24.14"E, 26°46'42.68"N
B: 80°26'26.11"E, 26°46'49.49"N
C: 80°26'27.52"E, 26°46'54.36"N
D: 80°26'28.9"E, 26°46'58.37"N
E: 80°26'32.41"E, 26°47'6.1"N
E: 80°26'35.34"E, 26°47'13.41"N

Legend

- GPS Coordinate Locations
- Proposed 8.0M Wide Road Through Reserve Forest Land
- Proposed 8.0M Wide Road Through Non Forest Land

(Madan Prasad Gautam)
Executive Engineer
Construction Div-1, P.W.D
Unnao

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

मलबा उत्सर्जन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित सफीपुर–मियागंज मार्ग (नानी कोठरिया) से सिद्धनाथ नई बस्ती लिंक मार्ग के निर्माण में मौके पर किसी प्रकार का मलबा उत्पन्न नहीं होगा।

जिससे गैर वन भूमि पर किये जाने वाले मलबा निस्तारण के लिए भू–स्वामित्व के सहमति पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(एम0पी0 चौरसिया)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–प्रथम,
लोक निर्माण विभाग,
उन्नाव

Executive Engineer
Construction Div-1, P.W.D.
Unnao

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव